कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री विनोद कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलवा, जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशाला, दौसा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3167/2019 विनोद कुमार गुप्ता बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3167/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2019 द्वारा अपीलार्थी विनोद कुमार गुप्ता को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर दिनांक 20.11.2019 तक एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 03 सुमन शेखावत के हितों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 05.12.2019 तक निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अभिकथन किया गया कि वह 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है और दिव्यांग अधिनियम के अनुसार उसे उचित स्थान पर बिना किसी परेशानी के परिवार के नजदीक जिले में ही पदस्थापित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलवा, जयपुर में ही पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2013 से विगत 6 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं। अपीलार्थी दिव्यांग है किन्तु पूर्ण सावधानी से चार पहिया वाहन चलाते हैं। **राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को ही स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं, जबकि अपीलार्थी 40 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। अपीलार्थी को समीपवर्ती दौसा जिले में ही पदस्थापित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी के स्थान पर श्रीमती सुमन शेखवत को प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किया जा चुका है। इस प्रकार एक ही स्थान पर पदस्थापित रखे जाने की अपीलार्थी की मांग न्यायोचित नहीं है।** अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।**

उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियो एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3, श्रीमती संतोष शेखावत के हितों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी, श्री विनोद कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा **खारिज किया किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था। चूंकि अपीलार्थी का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जाता है अतः श्री विनोद कुमार गुप्ता को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में तत्काल अपने**

स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशाला जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विनोद गुप्ता/अपील/3167/2019 दिनांक 18.11.19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री विनोद कुमार गुप्ता के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सी.सी.ए–17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)